काफिर को कुर्बानी के गोश्त से देने का हुक्म

[हिन्दी – Hindi – هندي]

इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति

अनुवादः अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2011 – 1432

IslamHouse.com

﴿حكم إعطاء الكافر من الأضحية﴾

« باللغة الهندية »

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2011 – 1432

IslamHouse.com

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

काफिर को कुर्बानी के गोश्त से देने का हुक्म

प्रश्नः

क्या उस व्यक्ति के लिए जो इस्लाम धर्म का अनुपालन करने वाला नहीं है, ईदुल अज़हा की क़ुर्बानी के गोश्त से खाना जाइज़ है ?

उत्तरः

जी हाँ, हमारे लिए समझौता वाले और क़ैदी काफिर को क़ुर्बानी के गोश्त से खिलाना जाइज़ है, तथा उसे उसमें से उसकी गरीबी, या रिश्तेदारी, या पड़ोस के कारण, या उसकी सांत्वना (दिलदारी) के लिए देना जाइज़ है। क्योंकि वास्तव में क़ुर्बानी की इबादत अल्लाह की निकटता प्राप्त करने और उसकी उपासना के तौर पर उसे ज़बह करने या क़ुर्बान करने में है। जहाँ तक उसके गोश्त का संबंध है तो बेहतर यह है कि वह उसका एक तिहाई खाए, और एक तिहाई अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दोस्तों को भेंट करे, और उसका एक तिहाई गरीबों पर दान करे, और यदि उसने इन भागों में कमी या वृद्धि कर दी या उन में से कुछ पर ही निर्भर कर लिया तो कोई गुनाह की बात नहीं है, इस बारे में मामले के

अंदर विस्तार है। तथा कुर्बानी के गोश्त से किसी जंगजू (युद्ध करने वाले) काफिर को नहीं दिया जायेगा, क्योंकि अनिवार्य यह है कि उसे दबाया और कमज़ोर किया जाए, न कि दान के द्वारा उसकी सहानुभूति की जाये और उसे शक्ति पहुँचाइ जाए। यही हुक्म स्वैच्छिक सदक़ात व खैरात में भी है, क्योंकि अल्लाह तआला का यह फरमान सामान्य है :

﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ (سورة الممتحنة الآية : ٨)

''जिन लोगों ने तुम से धर्म के बारे में युद्ध नहीं किया और तुम्हें देश से नहीं निकाला, उन के साथ अच्छा व्यवहार और उपकार करने और इंसाफ वाला बर्ताव करने से अल्लाह तुम्हें नहीं रोकता, (बल्कि) निःसंदेह अल्लाह तो इंसाफ करने वालों से प्रेम करता है।'' (सूरतुल मुम्तहिना : ८).

और इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अस्मा बिंत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हा को अपनी माँ के साथ माल

के द्वारा संबंध जोड़ने का आदेश दिया जबकि वह युद्ध विराम के समय काल में मुश्रिक थीं।

और अल्लाह तआला ही तौफीक़ प्रदान करने वाला है, तथा अल्लाह तआला हमारे ईशदूत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, आपकी संतान और साथियों पर दया और शांति अवतरित करे।''

इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसधान की स्थायी समिति

शैख अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ (समिति के अध्यक्ष), शैख अब्दुर्रज़्ज़ाक़ अफीफी (उपाध्यक्ष), शैख अब्दुल्लाह बिन गुदैयान (सदस्य), शैख अब्दुल्लाह बिन क़ऊद (सदस्य)।